

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज० जयपुर

10

क्रमांक- एफ. 5 (य-148) विविध/कोष/

कोषाधिकारी
समस्त।



दिनांक-

विषय:- महिला एवं बाल विकास विभाग के आगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिणी व सहायिका आदि के मानदेय का भुगतान वेतन आदि बिलों के साथ करवाए जाने बाबत।

संदर्भ:- वित्त (सा.विले.नि.) विभाग के पत्र क्रमांक प.4(52)वित्त/सा.विले.नि. इन्टरवल/09 दिनांक 24.3.09

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, वित्त के निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के आगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिणी व सहायिका आदि के मानदेय भुगतान बिल को वेतन बिल की तरह माह की 25 तारीख बाद भी स्वीकार किया जावे। ताकि इन कार्यकर्ताओं को भी वेतन भोगी कर्मचारियों की तरह समय पर भुगतान हो सके।

इसे अत्यावश्यक समझे।

Sd/-
निदेशक

क्रमांक- एफ. 5 (य-148) विविध/कोष/9715-9716
प्रतिलिपि:-

दिनांक- 31-3-09

1. विशेषाधिकारी, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) को सूचनार्थ।
2. निदेशक एवं उपशासन सचिव, समेकित बाल विभाग सेवार्य, राजस्थान, जयपुर।

Handwritten signature and initials: *Shamsher Singh*, *MS*, *Accts*

संयुक्त निदेशक (कोष एवं लेखा)